पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

<u>राज्यपाल से मिले न्यायमूर्ति राजमणि चौहान</u>
<u>15 अक्टूबर, 2016 को वाराणसी में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की</u>

लखनऊः 19 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में न्यायमूर्ति राजमणि चौहान (सेवानिवृत्त) ने भेंट कर वाराणसी स्थित राजघाट पुल पर 15 अक्टूबर, 2016 को हुए हादसे की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि वाराणसी स्थित राजघाट पुल पर जय गुरूदेव श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसमें भगदड़ के कारण 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 6 लोग घायल हो गए थे। घटना की न्यायिक जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था।

राज्यपाल को न्यायमूर्ति राजमणि चौहान (सेवानिवृत्त) द्वारा तीन भागों की 536 पृष्ठीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। राज्यपाल रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

अंजुम/ललित/राजभवन (434/21)